प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतीस'

[27/2/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 2514]

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय– वल्लभ भवन.

प्र.क्र. 2514 (प.-25)

क्रमांक एफ 16–6/07/सात/2ए

भोपाल, दिनाँक 4/09/2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः–गौशालाओं के लिये भूमि आबंटन संबंधी नीति।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में पंजीयत गौशाला समिति की मांग एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर चरनोई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर एक ग्राम पंचायत में केवल एक गौशाला हेतु न्यूनतम एक और अधिकतम दस एकड़ तक भूमि गौशालाओं के लिये रूपये 1/– (एक रूपया) सांकेतिक शुल्क लेकर निम्न शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति पर दी जा सकेगीः–

1. चरनोई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर अन्य शासकीय भूमि जिसकी विधि अनुसार मद परिवर्तित की जा सकती है ऐसी भूमि में से जिला गौपालन एवं पशु संवंधन समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर एक ग्राम पंचायत में केवल एक गौशाला समीति को भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति दे सकेगा।
2. ऐसी अनुज्ञप्ति केवल उन्हीं गौशालाओं को दी जा सकेगी जो मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संर्वधन बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हों।
3. संस्था के पास गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवंश (गाय, बछड़ा) रखे जावेंगे जिनका कोई स्वामी न हो, अशक्त, बीमार, वृद्ध हों। ऐसे कम से कम 50 गौवंशी पशु उपलब्ध हो।
4. गौवंश के जीवित पशु व मृत पशु से होने वाली आय गौशाला के खाते में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जायेगा।
5. गौशाला के संचालन के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संस्था के वित्तीय स्थिति की जानकारी सुनिश्चित् की जावे जिससे गौशाला का संचालन सुचारू रूप से हो सके।
6. गौशाला समीति का किसी बैंक में खाता हो तथा नियमित रूप से आडिट किया गया हो और गौशाला समीति के पास अधोसंरचना निर्माण हेतु अपनी पूंजी उपलब्ध हो।
7. भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति पंजीकृत गौशाला के नाम से की जा सकेगी।
8. भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिये ही किया जा सकेगा।
9. अनुज्ञप्ति प्राप्त भूमि को विक्रय, पट्टा, उप पट्टा, बंधक, किराये अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
10. भूमि की उपयोग अनुज्ञप्ति अस्थाई तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिये ही होगी। मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा खसरा अभिलेख इत्यादि में भूमिस्वामी के कालम में मध्यप्रदेश शासन गौशाला लिखा रहेगा।
11. अन्य आवश्यक शर्तें जो जिला कलेक्टर उचित समझे अधिरोपित कर सकेगा।
12. गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संर्वधन 2007 अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा।
13. किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।
14. गौशाला समीति द्वारा किसी भी शर्त उल्लंघन की स्थिति में उसी समीति को भविष्य में प्रदेश में गौशाला हेतु भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति के लिये विचार में नहीं लिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.एन.सोनी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ0 क्रमांक एफ 16–6/07/सात/2ए

भोपाल, दिनाँक 4/09/2008

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

Letter to collector

परिशिष्ट "अ"

विधानसभा अतरांकित प्रश्न कमांक 2514 के प्रश्नांश "ख" की जानकारी ।

क.	ग्राम व तहसील का नाम	गौशालाओं का नाम जिसके द्वारा भूमि की मांग की गई है ।	किस स्तर पर लंबित है	लंबित रहने की अवधि एवं लंबित रहने का करण ।
1.	.2	3.	4.	5.
1	ग्राम लांझी तहसील बरेली जिला रायसेन।	अध्यक्ष, कृष्ण कांति गौशाला , हमीदगंज, तहसील नसरूल्लागंज	अनुविभागीय अधिकारी, बरेली	प्रकरण.अनुविभागीय अधिकारी,बरेली की ओर दिनांक 09.02.2016 को शासन निर्देशों के तहत आवश्यक जांच कार्यवाही हेतु भेजा गया है । प्रकरण यथाशीघ्र प्राप्त किया जाकर तीन माह की समयसीमा में निराकरण कर दिया जावेगा।
2	ग्राम शालाबरू, तहसील सिलवानी।	गौशाला, शालाबरू तहसील सिलवानी ।	न्यायालय अपर कलेक्टर, रायसेन	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी से दिनांक 13-02-2017 को प्राप्त हुआ है, जिसका शासन निर्देशों की परिधि में परीक्षण किया जाकर तीन माह में निराकरण कर दिया जावेगा।
3.	ग्राम जुनिया , तहसील सिलवानी ।	सर्वोदय पशु संरक्षण समिति, सिलवानी जिला रायसेन	न्यायालय अपर कलेक्टर, रायसेन	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी से दिनांक 13-02-2017 को प्राप्त हुआ है, जिसका शासन निर्देशों की परिधि में परीक्षण किया जाकर तीन माह में निराकरण कर दिया जावेगा।

कलेक्टर,
जिला रायसेन